**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।**

उपस्थित –संध्या चौधरी, एच0जे0एस0

JO Code-UP6161

*************

**जमानत आवेदनपत्र संख्या–1701/2026**

**UPST010053002026**

शमशाद उर्फ ईदू पुत्र स्व0 शेर मोहम्मद, निवासी ग्राम ढाहा फिरोजपुर, थाना बंधुआकलां, जिला सुलतानपुर

.....प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

राज्य उत्तर प्रदेश । .....अभियोगी

अ0सं0–104/2026
धारा–3(5),109(1),115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
थाना–बंधुआकला, जिला–सुलतानपुर।

**दिनांकः 08.06.2026**

**1.** प्रार्थी/अभियुक्त शमशाद उर्फ ईदू की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है।

**2.** अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2026 को समय लगभग 04.30 बजे शाम को विपक्षी शमशाद उर्फ ईदू की बकरी वादी के खेत में सब्जी खा लेने की शिकायत को लेकर वादी विपक्षी के पास गया तो विपक्षीगण समीर, सैफ, कैफ, शमशाद उर्फ ईदू वादी के भाईयों व पिता जी के ऊपर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे वादी के भाई सिरताज व मो0 शहजाद तथा पिता रफीक के सिर व शरीर के कई जगह पर गम्भीर चोटें आयी है। हल्ला गुहार करने पर विपक्षीगण गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

**3.** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में और न ही किसी सक्षम न्यायालय में दिया गया है न विचाराधीन है। प्रार्थी निर्दोष है महज हैरान व परेशान करने की नीयत से फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मात्र धारदार हथियार दिखाकर थाने वालो को हमवार करके धारा 109(1) बी0एन0एस0 की धारा बढ़ाकर मामले को गम्भीर बनाया गया है। आहत आख्या से स्पष्ट है कि चोटहिल न तो मौके पर बेहोश था और न ही अस्पताल में ही बेहोश था। आहत आख्या तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट आपस में विरोधाभाषी है। प्रार्थी व उसके लड़को को गांव की रंजिशवश फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्हीं कथनों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

**4.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए

तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

**5.** जमानत प्रार्थना पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपपत्रों का अवलोकन किया।

**6.** उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा आजम के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण शमशाद उर्फ ईदू आदि के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। चोटहिलों के चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है। चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल मो0 रफीक के शरीर पर कुल 3 चोटें पायी गयी, चिकित्सक के द्वारा एक्सरे के लिए सुलतानपुर रेफर किया गया। चोटहिल शहजाद के शरीर पर कुल 4 चोटें जो सामान्य प्रकृति की उल्लिखित है। चोटहिल आजम के शरीर पर कुल 01 चोट जो सामान्य प्रकृति की उल्लिखित है। चोटहिल मो0 सिरताज के शरीर पर कुल 4 चोटें पायी गयी। चोटहिल मो0 सिरताज की एक्सरे रिपोर्ट में दाहिने हाथ में फ्रैक्चर पाया गया। अभियोजन के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति तथा अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता, चोटहिलों के शरीर पर आयी चोटों की प्रकृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना कोई निष्कर्ष दिये हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

**7.** प्रार्थी/अभियुक्त शमशाद उर्फ ईदू का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 70,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

sd/-

दिनांक 08.06.2026

(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

रोहित कुमार,
आशुलिपिक